न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /निगरानी/2014 पन्ना R-2512-III/14

मोहन लाल पटेल पुत्र महादेव पटेल,
निवासी–ग्राम/पोस्ट इटवाखास, मजरा–किरहा,
थाना–बृजपुर, तहसील/जिला–पन्ना

..... आवेदक/निगरानीकर्ता

बनाम

1. मथुरादेवी पत्नी सरदार सिंह यादव, निवासी–टिकुरिया मोहल्ला, तहसील/जिला पन्ना
2. म0प्र0 शासन

..... अनावेदकगण

निगरानी आवेदनपत्र धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 के अन्तर्गत प्रस्तुत विरूद्ध आदेश तहसीलदार पन्ना के प्र. क्र. 69/अ–12/2013–14 मथुरादेवी बनाम शासन आदेश दिनांक 30.06.14 को पारित।

श्रीमान् जी,

निगरानी के आधार निम्न प्रकार प्रस्तुत है :–

निगरानी के आधार :–

1. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि विधान एवं क्षेत्राधिकार बाह्य होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।
2. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने रिकार्ड की सूक्ष्मता से अध्ययन किये बिना जो आदेश पारित किया है वह निरस्त किये जाने योग्य है।
3. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता को बिना पक्षकार बिना सूचना दिये बिना निगरानीकर्ता की स्वअर्जित आराजी को बिना सुने अनावेदक के पक्ष में मेरी आराजी का सीमांकन निकाल दिया ऐसा आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
4. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने निगरानीकर्ता द्वारा क्रय आराजी रजिस्ट्री दिनांक 12–06–1996 जो रिकार्ड में था नजर अंदाज कर किया गया आदेश निरस्त किये जाने योग्य है।
5. यह कि, अधीनस्थ न्यायालय ने आराजी नं. 32/2/क एवं आराजी नं.

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक – निग.-2412-तीन/2014 जिला-पन्ना

मोहन लाल पटेल विरूद्ध मथुरादेवी व म.प्र. शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभावकों आदि के हस्ताक्षर
25-04-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । 3. प्रस्तुत निगरानी तहसीलदार पन्ना, जिला- पन्ना के प्रकरण क्रमांक 69/अ-12/2013-14 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 30-06-2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई थी । 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 129 में किये गये संशोधन वर्ष 2018 के अनुसार सीमांकन आदेश के विरूद्ध आपत्ति सुनवाई के अधिकार अनुविभागीय अधिकारी को दिये गये है । 5. अतः प्रकरण सक्षम न्यायालय में सुनवाई हेतु अनुविभागीय अधिकारी को प्रत्यायोजित किया जाता है । उभय पक्ष दिनांक 06-06-2019 को अनुविभागीय अधिकारी पन्ना जिला- पन्ना के यहां उपस्थित हो । अधीनस्थ न्यायालय को अभिलेख भेजा जाये । (आर.के. जैन) 25/4/19 सदस्य	